बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001;OHSAS 18001
BSEIDC
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasa, Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna-800004
Tel. No : 0612 - 2660850 *Fax No : 0612 - 2660256, E-mail: bseidc@gmail.com

संख्याः– 186 दिनांकः– 19/06/2025

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना की 51वीं निदेशक पर्षद की बैठक के एजेंडा संख्या–14/51 पर लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना के ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2012 में संशोधन करते हुए ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2025 लागू किया जाता है, जो निम्नवत् है:–

ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2025*

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लिमिटेड, जो शिक्षा विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम है, के द्वारा ठीकेदार सूचीकरण/नवीकरण/संबंधित नियमावली को "ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2025" के रूप में जनसाधारण की जानकारी हेतु एतद द्वारा निर्गत किया जाता है।

नियम

1. (i) यह बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लिमिटेड ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2025 कहलायेगी।

   (ii) यह नियमावली कार्यालय आदेश की तिथि से सभी निबंधित/निबंधित होने वाल संवेदकों पर अक्षरशः प्रभावी होगी।

   (iii) बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत सरंचना विकास निगम लिमिटेड अर्थात BSEIDC Ltd./निगम प्रयूक्त होगा।

2. ठीकेदारों को भवन एवं संबंधित निर्माण कार्य के निर्माणार्थ निम्नलिखित श्रेणी में निबंधित किया जायेगा :–
   श्रेणी 1 : 3.50 करोड़ रू० से ऊपर के निर्माण कार्य सम्पादित करने के लिए सक्षम।
   श्रेणी 2 : 70 लाख रू० से 3.50 करोड़ रू० तक के निर्माण कार्य सम्पादित करने के लिए सक्षम।
   श्रेणी 3 : 70 लाख रू० से कम के निर्माण कार्य सम्पादित करने के लिए सक्षम।

3. उपर्युक्त श्रेणियों के लिए निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगा एवं यह शुल्क समय–समय पर किये गये संशोधन के अनुसार संशोधित होगा:
   श्रेणी 1 : 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये
   श्रेणी 2 : 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये
   श्रेणी 3 : 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपये

4. (क) निबंधन 5 वर्षों के लिए अनुमान्य होगा। इस अवधि के दौरान श्रेणी दो एवं तीन में पंजीकृत संवेदक यदि चाहें तो उच्चतर श्रेणी में अतिरिक्त शुल्क जमा कर निबंधित हो सकते है। बशर्त्ते निबंधित होने वाले श्रेणी की सभी शर्त्तें/अहर्ता पूरा करते हों। ऐसा करने पर उनकी निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वतः रद्द समझा जाएगा।

   (ख) निगम के मुख्य अभियंता, BSEIDC Ltd. निबंधन पदाधिकारी होंगें।

   (ग) उपरोक्त सभी श्रेणियों के पंजीकृत संवेदक सम्पूर्ण बिहार में कहीं भी निगम का कार्य सम्पादन के लिए सक्षम होंगें।

5. **पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कागजात संवेदक को जमा करना होगा :**

   (क) प्रपत्र 'क' में आवेदन पत्र

   (ख) PAN Card की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति।

   (ग) आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य (Address Proof): साक्ष्य के रूप में सरकार द्वारा मान्य दस्तावेज।

(घ) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Limited, Patna के पक्ष में बनाया गया हो तथा पटना में भुगतेय हो।

(च) यदि पार्टनरशीप या लोक सीमित कंपनी हो तो उसका निबंधन प्रमाण पत्र, अंशधारियों के नाम तथा पार्टनरशीप डीड/कम्पनी बाई लॉज की प्रति।

6. नवीकरण :–

(क) पाँच वर्ष की अवधि के बाद पुनः कंडिका 3 में दिये गये शुल्क को जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा।

(ख) नवीकरण के लिये आवेदन पत्र निबंधन समाप्त होने के 30 (तीस) दिन पूर्व एवं निबंधन समाप्ति के 30 (तीस) दिन बाद तक किया जा सकेगा।

(ग) निबंधन अवधि समाप्ति के 30 (तीस) दिनों के बाद प्रति सप्ताह रू० 500 (रूपये पाँच सौ) मात्र के दर से Fine के साथ नवीकरण के लिये आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। Fine कि राशि कम से कम रू० 500 (रूपये पाँच सौ) मात्र एवं अधिकतम Fine कि राशि कंडिका 3 अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित निबंधन शुल्क तक सीमित होगी।

7. आवेदन पत्र :

इच्छुक संवेदकगण परिशिष्ट– 'क' में उल्लिखित प्रपत्र में आवेदन देंगें। Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation Limited द्वारा परिशिष्ट–'ख' में उल्लिखित निबंधन प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

8. कदाचार का विवरण :

क) व्यक्तिगत रूप से ठीकेदार या निबंधित फर्म के किसी साझेदारी या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से किसी कदाचार के कारण निगम के किसी श्रेणी में निबंधित ठीकेदार के विरूद्ध **BSEIDC.,Ltd अंतर्गत प्रावधानित सजा दिया जा सकेगा :–**

(i) निगम के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार।

(ii) एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक :

a) संवेदक द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता अंसतोषजनक रहने पर।

b) संवेदक द्वारा एकरारनामा के एक से अधिक शर्त्तों का उल्लंघन तथा इस संबंध में सूचना एवं चेतावनी देने के बावजूद भी अपेक्षित सुधार नहीं लाने पर।

c) संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अंतरित अथवा चालू विपत्र में **Fraud** पाये जाने पर।

d) **Defect Liability Period (DLP)** में निर्धारित सुधारात्मक कार्यो को नहीं किये जाने पर।

(iii) कार्य संबंधित कागजातों की प्राप्तियाँ, कागजातों का प्रस्तुतीकरण या इसके विरूद्ध कोई कार्य करते समय **निगम** कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिए।

(iv) ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना निगम के आदेश से सौंपने पर (सबलेटिंग)।

(v) निगम से संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिए।

(vi) निगम द्वारा निर्गत विभागीय सामग्री बेचते हुए पाये जाने पर बेची गई सामग्री कि प्रतिपूर्ति/सामग्री के वर्त्तमान मूल्य की प्रतिपूर्ति के साथ–साथ इसके लिए कंडिका–9 अंतर्गत निर्धारित दंड।

(vii) ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।

(viii) एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर टेंडर में निर्धारित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।

(ix) किसी अपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता होने पर।

(x) सोची–समझी साजिश के तहत संघ/समूह (**Cartel**) बनाकर निविदा में भाग लेना/बहिष्कार करना।

(ख) किसी विशिष्ट श्रेणी के ठीकेदार को काली सूची में दर्ज करने अथवा पदावनत (Demote) करने अथवा निलंबन करने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा:

(i) संबंधित ठीकेदार को सभी तथ्यों एवं कागजतों को संलग्न करते हुए 15 (पंद्रह) दिनो कि समय अवधि प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस मुख्य अभियंता BSEIDC Ltd. द्वारा दिया जायेगा।

(ii) संबंधित ठीकेदार के द्वारा कारण बताओ नोटिस से संबंधित का जबाब उपलब्ध कराने के उपरांत इसकी समीक्षा मुख्य अभियंता, BSEIDC Ltd द्वारा 10 (दस) दिनों मे किया जायेगा।

(iii) मुख्य अभियंता, BSEIDC Ltd के द्वारा समीक्षा के उपरान्त ठीकेदार द्वारा उपलब्ध कराया गया जबाब संतोषप्रद नही पाये जाने कि स्थीति में ठीकेदार को पुनः Oral Hearing के लिए सभी कागजातों के साथ अपना पक्ष मुख्य अभियंता, BSEIDC Ltd से समक्ष 07 (सात) दिनो के अन्दर रखने हेतु एक मौका दिया जायेगा।

(ग) कंडिका–8(ख)–iii के अनुसार ठीकेदार द्वारा Oral Hearing में प्रस्तुत विवरणी, साक्ष्यों एवं जवाब संतोषप्रद नहीं होने कि स्थिती में मुख्य अभियंता, BSEIDC Ltd के द्वारा ठीकेदार को निलंबन अथवा पदावनत अथवा कालीकृत की जायेगी।

(घ) कंडिका 8 (ग) (ii) पारित किये गये दण्ड पर असंतुष्ट होने कि स्थिती में ठीकेदार 30 (तीस) दिनों के अन्दर प्रबंध निदेशक, BSEIDC Ltd के समक्ष अपील दायर कर सकते है।

9 दण्ड :

उपर्युक्त कंडिका–8 अंतर्गत कदाचार के लिए दंड :

(i) उप कंडिका–8 'क'–(i), (ii), (iii), (iv), (v) एवं (x) में उपबंधित कदाचार में संलिप्तता पाये जाने वाले ठीकेदार के निबंधन को अधिकतम 02 (दो) वर्षों के लिए निलंबित किया जायेगा अथवा एक क्षेणी नीचे की क्षेणी में पदावनत किया जायेगा, और एक से अधिक उपबंधित कदाचारों में संलिप्त पाये जाने पर संबंधित ठीकेदार के निबंधन को कालीसूची में डाला जायेगा। इससे संबंधित निलंबन अथवा पदावनत के संबंध में निर्णय मुख्य अभियंता, BSEIDC Ltd के द्वारा लिया जायेगा।

(ii) उप कंडिका–8 'क'–(vi), (vii), (viii) एवं (ix) में उपबंधित कदाचार में संलिप्तत पाये जाने वाले ठीकेदार के निबंधन को कलीसूची में डाला जायेगा।

(iii) उप कंडिका 9 (i) एवं (ii) के लिए संबंधित ठीकेदार को कालीसूची में डालने कि अधिकतम अवधि तीन वर्ष की होगी।

10 एक बार किसी व्यक्ति फर्म/कम्पनी का निबंधन हो जाने के बाद इसके मूलभूत संरचना में परिर्वतन होने पर नया निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

11 निबंधन में अंकित 'पावर ऑफ एटार्नी' (मुख्तारनामा) में परिवर्तन की स्थिति में निगम **के मुख्य अभियंता, BSEIDC Ltd.** से आदेश प्राप्त होने पर ही कार्य में इसकी मान्यता दी जायेगी।

12 निबंधन में अंकित पता, **इ–मेल, दूरभाष, मोबाईल में परिवर्तन होने पर इसकी लिखित सूचना मुख्य अभियंता, BSEIDC Ltd. को** देना आवश्यक होगा।

ह0/–
महाप्रबंधक प्रशासन
BSEIDC, पटना।

ज्ञापांकः–BSEIDC/ADMIN/31(III)/2011- दिनांकः–

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
महाप्रबंधक प्रशासन
BSEIDC, पटना।

ज्ञापांकः– BSEIDC/ADMIN/31(III)/2011- 5712 दिनांकः– 19/06/2025

प्रतिलिपिः–मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक) (मु०/क्षेत्रीय)/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री लव कुमार, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, BSEIDC को सूचनार्थ प्रेषित।

19.6.25
महाप्रबंधक प्रशासन
BSEIDC, पटना।